भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2268

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक सब्सिडी नीति

2268. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उर्वरक विनिर्माताओं को विनियमित किए बिना उर्वरक राजसहायता को कम करने से किसानों और उर्वरक कंपनियों के लिए आदान लागत में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है कि देश में उर्वरक राजसहायता का भार किस हद तक राजसहायता के बजाय मुख्यतः आयात पर निर्भरता और घरेलू उर्वरक उत्पादन में अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश के कारण है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उत्पादन को सुदृढ़ करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक सब्सिडी की आवश्यकता में किसी भी संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीफ 2026 मौसम हेतु पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत ₹41,533.81 करोड़ की सब्सिडी राशि को अनुमोदित किया है, जो रबी 2025–26 मौसम के लिए अनुमोदित सब्सिडी आवश्यकता की तुलना में लगभग ₹3,581 करोड़ अधिक है। यह बढ़ा हुआ आवंटन किसानों के लिए पीएंडके उर्वरकों की किफायती दरों पर उपलब्धता तथा उनकी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होगा।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु 18.01.2024 को युक्तिसंगत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनके अंतर्गत आयातकों / उत्पादकों को क्रमशः 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत तक का युक्तिसंगत लाभ प्रदान किया गया है। प्राप्त अनुरोधों के आधार पर मौजूदा इकाइयों की नई उत्पादन क्षमता को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है/अभिलेख में दर्ज किया गया है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल पीएंडके उर्वरकों की श्रेणियों (ग्रेडों) की संख्या वर्ष 2018 में 22 थी जो बढ़कर 28 हो गई है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के उपयोग को बढ़ावा देने तथा मिट्टी में फॉस्फोरस (पी) पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक एसएसपी पर खरीफ 2022 से मालभाड़ा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) स्कीम के अंतर्गत उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्व-वार सब्सिडी दरें अर्द्धवार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 02 जनवरी 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी), 2012 तथा 07 अक्टूबर 2014 को उसमें संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के अंतर्गत कुल 6 नई यूरिया इकाइयों की स्थापना की गई है, जिनमें 4 यूरिया इकाइयाँ नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यम (जेवीसी) के माध्यम से तथा 2 यूरिया इकाइयाँ निजी कंपनियों द्वारा स्थापित की गई हैं। संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से स्थापित इकाइयों में तेलंगाना स्थित रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की क्रमशः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी स्थित यूरिया इकाइयाँ शामिल हैं। निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयों में पश्चिम बंगाल स्थित मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (Matix) की पानागढ़ यूरिया इकाई तथा राजस्थान स्थित चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई शामिल हैं। इन सभी इकाइयों की स्थापित उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (LMTPA) है। नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण ये सभी इकाइयाँ अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं। इन इकाइयों के माध्यम से कुल 76.2 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता का सृजन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्मूल्यांकित क्षमता- आरएसी) वर्ष 2014-15 के 207.54 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.74 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गई है। इसके अतिरिक्त, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड (FCIL) की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार हेतु नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यम तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (TFL) के माध्यम से कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले नए ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए एक पृथक नीति को भी अनुमोदित किया गया है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के वर्तमान परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से स्थापित किया जाएगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 15.07.2026 को आत्मनिर्भर भारत हेतु राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को अनुमोदित किया है। इस नीति के अंतर्गत देश में नई गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रावधान किए गए हैं, ताकि घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, आयातित यूरिया पर निर्भरता कम हो तथा यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता और अधिक सुदृढ़ हो।
